(2021) 7 एस.सी.आर 366

कुरबन अंसारी उर्फ कुरबन अली तथा एक अन्य

बनाम

श्याम किशोर मुर्मू एवं एक अन्य

(सिविल अपील सं0 6902 वर्ष 2021)

नवम्बर 16, 2021

(आर सुभाष रेड्डी तथा हृषीकेष राँय, न्यायमूर्तिगण्)

मोटरयान अधिनियम, 1988, धारा 163-क- काल्पनिक आय-का निर्धारण-धारा 163-क के अधीन किया गया दावा- मृतक संतान- कमाने वाला सदस्य नही-अधिकरण ने प्रतिकर निर्धारण हेतु अनुसूची प्प् के अनुसार काल्पनिक आय पर विचार किया था- दावेदार प्रतिकर के वृद्धि की माँग कर रहा है- अभिनिर्धारितः पुत्तम्मा तथा अन्य में यह संप्रेक्षित किया गया कि केन्द्रीय सरकार को धारा 163-क (3) के दृष्टिगत अनुसूची-II का संशोधन करने का काम दिया गया है, लेकिन यह ऐसा करने में असफल था- उपर्युक्त के दृष्टिगत, वर्तमान निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-II में समुचित संशोधनो को करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उक्त मामले में विनिर्दिष्ट निदेशो को जारी किया गया था- बार-बार निदेशो के बावजूद, अनुसूची प्प् को संशोधित नही किया गया था- इसलिए, न कमाने वाले सदस्य के लिए रू. 15,000/- प्रति वर्ष पर काल्पनिक आय का निर्धारण न्यायपूर्ण तथा युक्ति युक्त नही था- पुत्तम्मा, आर. के मलिक तथा किशन गोपाल में निर्णयों के दृष्टिगत, मुद्रास्फीति, रूपया के अवमूल्यन तथा निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए काल्पनिक आय को बढ़ाने के लिए उपयुक्त मामला नही है- मृतक की काल्पनिक आय रू0 25,000/- प्रतिवर्ष पर निर्धारित तथा तदनुसार प्रतिकर अधिनिर्णीत

अपील को भागतः अनुज्ञात करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

अधिकरण ने मृतक के काल्पनिक आय को रू 15,000/- प्रतिवर्ष पर स्वीकार करते हुए प्रतिकर अधिनिर्णीत किया था। पुत्तम्मा में यह संप्रेक्षित किया गया कि केन्द्रीय सरकार को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163-क (3) के दृष्टिगत अनुसूची-II का संशोधन करने का काम दिया गया था, लेकिन यह ऐसा करने में असफल था। उपर्युक्त के दुष्टिगत, वर्तमान निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-II में समुचित संशोधनो को करने के लिए केन्द्र सरकार को विनिर्दिष्ट निदेशो को जारी किया गया था। उक्त निर्णय में, इस प्रकार के

संशोधन को किये जाने तक पाँच वर्ष के उम्र तक के न कमाने वाले संतानो के प्रतिकर हेतु रू0 1500,000/- की धनराशि तथा पाँच वर्ष से अधिक के उम्र के न कमाने वाले व्यक्तियो के लिए रू0 1,50,000/- के धनराशि का निर्धारण करते हुए प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु निदशों को जारी किया गया था। आर. के मलिक के मामले में भी, इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया था कि रू0 15,000/- प्रति वर्ष के रूप में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-क के अधीन निर्धारित काल्पनिक आय को बढ़ाया जाना चाहिए क्योकि यह 14.11.1994 से किसी संशोधन के बिना निरन्तर अस्तित्व में है। किशन गोपाल के मामले में, जहाँ मृतक इस वर्ष की उम्र का संतान था, इस न्यायालय ने इसके काल्पनिक आय को रू0 30,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किया था। इस मामले में, दुघर्टना 06.09.2004 को घटित हुई थी। पुत्तम्मा, आर.के. मलिक तथा किशन गोपाल में निर्णयों के दृष्टिगत, मुद्रास्फीति, रूपय के अवमूल्यन तथा निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए काल्पनिक आय को बढ़ाने के लिए यह उपयुक्त मामला है। मृतक के काल्पनिक आय को रू0 25,000/- प्रति वर्ष पर स्वीकार किया जाता है। (पैरा 12-16) 370-डी.एच.;371.बी .- सी.)

पुत्तम्मा तथा अन्य बनाम के.एल. नारायण रेड्डी एवं एक अन्य (2013) 15 एससीसी 45ः (2013) 16 एससीआर 831; किशन गोपाल तथा एक अन्य बनाम लाला तथा अन्य (2014) 1 एससीसी 244 : (2013) 10 एससीआर 793- भरोसा किया गया।

राजेन्द्र सिंह तथा अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड तथा अन्य (2020) 7 एससीसी 256- अप्रयोज्य अभिनिर्धारित

आर. के. मलिक तथा एक अन्य बनाम किरण पाल तथा अन्य (2009) 14 एससीसी 1 (2009) 10 एससीआर 87- निर्दिष्ट

निर्णयज विधि संदर्भ-

(2013) 16 एससीआर 831	भरोसा किया गया	पैरा 8
(2013) 10 एससीआर 793	भरोसा किया गया	पैरा 8
(2009) 10 एससीआर 87	निर्दिष्ट	पैरा 8
(2020) 7 एससीसी 256	अप्रयोज्य अभिनिर्धारित	पैरा 9

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं0 6902 वर्ष 2021 प्रकीर्ण अपील सं0 66 वर्ष 2011 में झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची के निर्णय तथा आदेश दिनांक 03.08.2018 से अपीलार्थीगण के अधिवक्ता; 'एस.एन.भट्ट प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण, अनुभव, यशंवत

सिंह यादव, सुश्री प्रीति यादव, रबी करहना, अमित कुमार, राजेश कुमार, रामेश्वर प्रसाद गोयल, बी.एस. चोपड़ा, सुश्री मंजीत चावला,

न्यायालय का निर्णय आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया

1. अनुमति स्वीकृत

2. यह सिविल अपील निर्णय तथा आदेश दिनांक 03.08.2018 द्वारा व्यथित झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची के समक्ष अधिमानित एम.ए. सं0 66 वर्ष 2011 में अपीलार्थीगण - दावेदारों द्वारा अधिमानित है।

3. इस अपील को निपटाने हेतु संक्षेप में आवश्यक तथ्य यह है कि 06.09.2004 को, जब अपीलर्थीगण- दावेदारों का पुत्र अर्थात् इबरान अली, कक्षा-11 में पढ़ रहा लगभग 7 वर्ष की उम्र का एक लड़का अपने नाना-नानी के घर के सामने सड़क के बगल में खड़ा था, एक मोटर साइकिल ने घोर क्षतियाँ कारित करते हुए इसे टक्कर मारी है जिसके परिणामरूप इसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त वाहन को श्री सुनील गुरूम चला रहा था तथा प्रत्यर्थी सं0 1 के स्वामित्वाधीन था एवं प्रत्यर्थी सं0 2 से बीमित था।

4. उक्त दुघर्टना के कारण जिसके परिणामस्वरूप दावेदारों के लड़के की मृत्यु हुई थी, इन लोगो ने प्रतिकर का दावा करते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163- क के अधीन दावा याचिका दाखिल किया था। मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण के समक्ष, दावेदारों का मामला यह था कि दुघर्टना उल्लंघन करने वाले मोटर साइकिल के चालक के उतावलेपन से तथा उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई है; दुघर्टना के समय पर मृतक लड़के की उम्र लगभग 7 वर्ष थी तथा वह कक्षा-II में पढ़ रहा था। अधिकरण अभिलेख पर मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए इस निष्कर्ष पर आया है कि दुघर्टना मोटर साइकिल के चालक अर्थात् सुनील गुरूम के उतावलेपन से तथा उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई है। अधिकरण ने मृतक के काल्पनिक आय को रू0 15,000/- प्रतिवर्ष पर विचार करते हुए, गुणक '15' का प्रयोग करते हुए निर्णय की तिथि से 6% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ रू0 2,25,000/- का प्रतिकर अधिनिर्णित किया था। चूकिं उल्लंघन करने वाले मोटर साइकिल के चालक श्री सुनील गुरूम के पास दुघर्टना के समय पर वैध हाइविंग लाइसेन्स नही था, अधिकरण ने प्रत्यर्थी सं0 02- बीमा कंपनी को दावेदारो को प्रतिकर अदा करने तथा इसे इसके स्वामी से वसूल करने निदेश दिया था।

5. योगदायी उपेक्षा का अभिवचन करते हुए, बीमा कंपनी ने प्रतिकर के वृद्धि हेतु एम.ए. सं0 115 वर्ष 2011 अधिमानित किया था, दावेदारों ने झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची के समक्ष एम.ए. सं0 66 वर्ष 2011 अधिमानित किया है।

6. आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा अधिमानित अपील को खारिज किया है तथा अंतिम संस्कार खर्चो के लिए रू0 15,000/- के आगे के धनराशि को अधिनिर्णीत करते हुए दावेदारों द्वारा अधिमानित अपील को भागतः अनुज्ञात किया है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थीगण दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से ब्याज के साथ प्रतिकर हेतु रू0 2,40,000/- के धनराशि के हकदार है जैसा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित किया गया है।

7. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एन. भट्ट तथा प्रत्यर्थी सं0 2- बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस. चोपड़ा को सुना।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. एन. भट्ट ने मुख्यतया तर्क दिया है कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर जैसा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है निम्नतर है तथा न्यायपूर्ण एवं उचित नही है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिकर को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अनुसूची-II के अनुसार मृतक की आय को काल्पनिक रूप से रू 15,000/-प्रतिवर्ष पर मानते हुए अधिनिर्णित किया गया था जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-क के अधीन किये गये दावों के संबंध में लागू होता है। यह निवेदन किया गया है कि रू0 15,000/- के काल्पनिक आय को वर्ष 1994 के प्रारम्भ में निर्धारित किया गया था तथा किसी तरह, यह इस न्यायालय द्वारा बार-बार निदेशों के बावजूद किसी संशोधन के बिना कानून में जारी है। यह निवेदन किया गया है कि मोटर मान अधिनियम 1988 की धारा 163-क (3) के अधीन प्रावधान के दृष्टिगत, यद्यपि यह सरकार की ओर से अनुसूची-II का संशोधन करना बाध्यकारी था, यह जैसा वर्ष 1994 में निर्धारित था, तब से जारी है। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि काल्पनिक आय जैसा निर्धारित है, निर्वाह व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। अपने तर्को के समर्थन में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुत्तम्मा एवं अन्य बनाम के.एल. नारायण रेड्डी तथा एक अन्य (2013) 15 एससीसी 45, आर, के मलिक तथा एक अन्य बनाम किरण पाल तथा अन्य (2009) 14 एससीसी 1 तथा किशन गोपाल तथा एक अन्य बनाम लाला तथा अन्य (2014) 1 एससीसी 244 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

9. दूसरी तरफ प्रत्यर्थी सं0 2- बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. एस. चोपड़ा ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही है तथा राजेन्द्र सिंह तथा अन्य बनाम नेशनल इंश्योरन्स कंपनी लिमिटेड तथा अन्य (2020) 7 एससीसी 256 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमने आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर रखे अन्य सामग्री का परिशीलन किया है।

11. चूकिं दावा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163-क के अधीन किया गया था, चूकिं मृतक संतान कमाने वाला सदस्य नही था, अधिकरण ने प्रतिकर का निर्धारण करने के प्रर्योजन हेतु अनुसूची-II के अनुसार काल्पनिक आय पर विचार किया है। अधिकरण ने मृतक के काल्पनिक आय को गुणक '15' का प्रयोग करते हुए रू 15,000/-प्रतिवर्ष पर स्वीकार करते हुए प्रतिकर का अधिनिर्णय किया है, निर्णय की तिथि से 6% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ निर्भरता के अभाव हेतु रू0 2,25,000/-का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया है। जब अपीलो को बीमा कंपनी तथा इसमें अपीलार्थीगण द्वारा अधिमानित किया जाता है, आक्षेपित एक ही निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा अधिमानित अपील को खारिज किया है तथा दावेदारों द्वारा अधिमानित अपील में, रू 2,25,000/- पर निर्भरता के अभाव हेतु अधिनिर्णीत प्रतिकर की पुष्टि करते हुए अंतिम संस्कार खर्चो के लिए रू 15,000/- के आगे के धनराशि को अधिनिर्णीत किया है तथा तदनुसार प्रत्यर्थी सं0 2- बीमा कंपनी द्वारा देय 6% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ रू0 2,40,000/- का कुल प्रतिकर मंजूर किया है तथा इसे प्रत्यर्थी सं0 1- मोटर साइकिल के स्वामी से वसूलने की अनुमति दिया है।

12. पुत्तम्मा तथा अन्य (2013) 15 एससीसी 45 के मामले में निर्णय में, इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि केन्द्रीय सरकार को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163-क (3) के दृष्टिगत अनुसूची-II का संशोधन करने का काम दिया गया था, लेकिन यह ऐसा करने में असफल था। उपर्युक्त के दृष्टिगत, वर्तमान निर्वाह ब्यय को ध्यान में रखते हुए अनुसूची प्प् में समुचित संशोधनो को करने के लिए केन्द्र सरकार को विनिर्दिष्ट निदेशों को जारी किया गया था। उक्त निर्णय में, जब तक इस प्रकार के संशोधनो को नही किया जाता है, 5 वर्ष की उम्र तक न कमाने वाले संतानो हेतु प्रतिकर हेतु रू0 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) की धनराशि तथा 5 वर्ष से अधिक के उम्र के न कमाने वाले व्यक्तियों के लिए रू01,50,000/- (रूपया एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का निर्धारण करते हुए प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु निदेशों को जारी किया गया था।

13. आर.के. मलिक तथा एक अन्य (2009) 14 एससीसी 1 के मामले में भी, इस न्यायालय ने संप्रक्षित किया है कि रू 15,000/- प्रतिवर्ष के रूप में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-क के अधीन निर्धारित काल्पनिक आय को बढ़ाया जाना चाहिए क्योकिं यह 14.11.1994 से किसी संशोधन के बिना लगातार अस्तित्व में है। किशन गोपाल तथा एक अन्य (2014) 1 एससीसी 244 के मामले में जहाँ मृतक दस वर्ष की उम्र का बच्चा था, इस न्यायालय ने इसके काल्पनिक आय को रू 30,000/-प्रतिवर्ष पर निर्धारित किया है।

14. इस मामले मे, यह उल्लेखनीय है कि दुघर्टना 06.09.2004 को हुई थी। बार-बार निदेशों के बावजूद, अनुसूची-II अभी तक संशोधित नही है। इसलिए, न कमाने वाले सदस्यों के लिए रू0 15,000/- प्रतिवर्ष पर काल्पनिक आय का निर्धारण न्यायपूर्ण तथा युक्तियुक्त नही है।

15. पुत्तम्मा तथा अन्य (2013) 15 एससीसी 45, आर.के. मलिक तथा एक अन्य (2009) 14 एससीसी 1 तथा किशन गोपाल तथा एक अन्य (2014) 1 एससीसी 244 में मामलों में निर्णय के दृष्टिगत, मेरी राय है कि मुद्रास्फीति, रूपया का अवमूल्यन तथा निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए काल्पनिक आय को बढ़ाने के लिए यह उपयुक्त मामला है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी सं0 2-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये राजेन्द्र सिंह तथा अन्य (2020) 7 एससीसी 256 के मामले में निर्णय बीमा कंपनी के मामले को कोई सहायता नही देगा।

16. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम मृतक के काल्पनिक आय को रू0 25,000/- (रूपया पच्चीस हजार मात्र) प्रति वर्ष पर स्वीकार करना उचित समझते है। तदनुसार, जब काल्पनिक आय को लागू गुणक '15' से गुणा किया जाता है, जैसा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 163-क के अधीन दावा हेतु अनुसूची-II में विहित है, यह निर्भरता के अभाव हेतु रू0 3,75,000/- (रू0 25,000/ग गुणक 15) आता है। अपीलार्थीगण पुत्रोचित सहायता हेतु रू0 40,000/- प्रत्येक तथा अंतिम संस्कार खर्चो हेतु रू0 15,000/- के धनराशि के भी हकदार है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण प्रतिकर हेतु निम्न धनराशि के हकदार हैः-

क.	निर्भरता का अभाव:	रू0 3,75,000.00
ख.	पुत्रोचित सहायता:	रू0 80,000.00
	(रू0 40,000/-ग 2)	
ग.	अन्त्येष्टि खर्चो:	रू0 15,000.00
	कुल रू0	4,70,000.00

17. तदनुसार, अपीलीर्थीगण दावा याचिका की तिथि से वसूली की तिथि तक 6% प्रति वर्ष पर ब्याज के साथ कुल प्रतिकर हेतु रू0 4,70,000/- (रूपया चार लाख सत्तर हजार मात्र) के धनराशि के हकदार है। बढ़ा हुआ प्रतिकर अपीलार्थीगण के बीच संविभाजित किया जायेगा जैसा अधिकरण द्वारा आदेश दिया गया है। सम्पूर्ण प्रतिकर अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी सं0 2 बीमा कंपनी द्वारा संदत्त किया जायेगा तथा हम बीमा कंपनी को इसे प्रत्यर्थी सं0 1 मोटर साइकिल स्वामी से समुचित कार्यवाहियाँ आरंभ करते हुए वसूल करने के लिए स्वतंत्र करते है क्योकिं मोटर साईकिल को उस चालक द्वारा चलाया जा रहा था जिसमें पास दुघर्टना की तिथि को वैध ड्राइविंग लाइसेन्स नही था।

18. तदनुसार इस सिविल अपील को निर्देशों के साथ भागतः अनुज्ञात किया जाता है जैसा ऊपर संक्षेप दिया गया है। खर्चो के संबंध में कोई आदेश नहीं।

यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।